राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 40(54)ग्रावि/नरेगा/अपूर्ण कार्य/2013/56044 जयपुर, दिनांक : DEC 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर स्थाई डिस्प्ले बोर्ड लगाने बाबत।**

सदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 22.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में क्रमशः यह वर्णित किया गया कि –

2 पूर्ण हो चुके कार्यो जो कि एमआईएस पर भी पूर्ण दर्शा दिये गये हैं, पर स्थाई डिस्प्ले बोर्ड योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक व्यय से निर्मित कराये जावें।

3. वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं इसके पश्चात् पूर्ण हुए एवं प्रगतिरत रहे समस्त कार्यो पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जाने अनिवार्य हैं।

इस संबन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से चाहे गये मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि **योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यो** एवं ऐसे कार्य जो कि **पूर्ण हो चुके हैं परन्तु एमआईएस पर अभी तक पूर्ण नहीं दर्शाये** गये हैं, **पर ही डिस्प्ले बोर्ड निर्माण का कार्य** स्वीकृत तकमीना पर चार्ज करते हुए बनाये जावें। **एम.आई. एस. पर पूर्ण दर्शाये जा चुके कार्यो पर बोर्ड नही लगाये जावे।** योजनान्तर्गत **नये कार्य प्रारम्भ करते ही सर्वप्रथम डिस्प्ले बोर्ड का निर्माण मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप** किये जावे।

उक्त निर्देशों के अनुसार **केवल प्रगतिरत कार्यो एवं नये प्रारम्भ होने वाले कार्यो पर ही डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित** किया जावे तथा **वर्तमान में प्रगतिरत कार्यो पर संदर्भित पत्र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप दिनांक 10.12.2017 तक डिस्प्ले बोर्ड** आवश्यक रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)
परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner